न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यू कोर्ट, मुरादाबाद।
सत्र परीक्षण सं0–611/2019
उ0प्र0 राज्य————————बनाम ——————————बाबू उर्फ बवुआ ।

अ0सं0–349/2018
धारा–3/25 आयुध अधिनियम,
थाना–बिलारी, जिला मुरादाबाद।

आरोप

मैं, पंकज जायसवाल, अपर जिला सत्र न्यायाधीश, न्यू कोर्ट, मुरादाबाद आप बाबू उर्फ बवुआ अभियुक्त को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 19–8–2018 को समय 05.40 बजे स्थान जंगल ग्राम स्यौडारा थाना बिलारी जिला मुरादाबाद के क्षेत्राधिकार में आप वादी मुकदमा, निरीक्षक, अजय पाल सिंह व उनके हमराही पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गिरफ्तार किये गये और फर्द बरामदगी में वर्णित आपके कब्जे दाहिने हाथ में पकडा हुआ एक देशी तमंचा 315 बोर स्टील कलर, चालू हालत में, जिससे ताजा चलने की गन्ध आ रही थी व दाहिनी जेब से 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व जमीन पर पडा एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए, जिनको रखने का आपके पास कोई लाईसेन्स नहीं था । इस प्रकार आपने धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(पंकज जायसवाल)
दिनांक : 17–10–2019 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यू कोर्ट, मुरादाबाद।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया एवं समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

(पंकज जायसवाल)
दिनांक : 17–10–2019 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यू कोर्ट, मुरादाबाद।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यू कोर्ट, मुरादाबाद।
सत्र परीक्षण सं0–611/2019
उ0प्र0 राज्य—————————बनाम ——————————बाबू उर्फ बवुआ ।

अ0सं0–349/2018
धारा–3/25 आयुध अधिनियम,
थाना–बिलारी, जिला मुरादाबाद।

17–10–2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त बाबू उर्फ बवुआ मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के प्रश्न पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता/ (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3/25 आर्म्स एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है तथा आरोप पत्र भी इसी धारा में अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित किया गया है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप विरचित किया जाये ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तथा फर्द बरामदगी/प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के पास एक एक देशी तमंचा 315 बोर चालू हालत में व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व जमीन पर पडा हुआ एक खोखा कारतूस बरामद करना बताया गया है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3/25 आर्म्स एक्ट में आरोप विरचित जाना उचित है । तद्नुसार अभियुक्त, बाबू उर्फ बवुआ के विरूद्ध धारा–3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप विरचित किया जाये ।

अभियुक्त बाबू उर्फ बवुआ के विरूद्ध धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की ।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 30–10–2019 को पेश हो।

दिनांक : 17–10–2019

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यू कोर्ट, मुरादाबाद।